न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

अपील सं0 : 02 सन 2022

अनवान :–

1. गुरमुखसिह पुत्र स्वरूपसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. संरपच ग्राम पंचायत भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सन्दीप कौर पुत्र स्वरूपसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर
3. लवप्रीत पुत्र जसविन्द्र कौर जरिये संरक्षिका मौसी सन्दीपकौर जाति जटसिख निवासी मोजूखेडा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
4. हरमीत कौर पुत्री जसविन्द्र कौर जरिये संरक्षिका मौसी सन्दीपकौर जाति जटसिख निवासी मोजूखेडा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
5. जसमैल कौर पत्नी स्वरूपसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 सरपंच ग्राम पचायत भूकरका एवं वसीयत आदेश दिनांक 13.04.2022 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाने

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री भरत सिह बैनीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्स– 1 ता 4

निर्णय दिनांक :– 05/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि रोही मौजा चक 3 बीकेके के खाता संख्या 99 / 101 की कुल 1.3280हैक्‍ भूमि अपीलान्ट के पिता स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख तहसील नोहर के सदामत से ही अपीलान्ट के पिता के कब्जा काश्त में रही थी अपीलान्ट के पिता रूपसिह पुत्र श्रवणसिह ने अपनी जीवनकाल में दिनांक 24.07.2018 को स्वैच्छा से वाद भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में करवा दी थी। अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 01. 07.2020 को हो चुका है तथा अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने पर वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था क्योकि वसीयत के अनुसार तहसीलदार राजस्व नोहर ने दिनांक 13.04. 2022 को हल्का पटवारी को आदेश जारी कर दिये किन्तु अपीलान्ट को हल्का पटवारी के द्वारा अवगत करवाया की विवादित भूमि का विरास्तन नामान्तकरण गैरसयलान के नाम से दर्ज हो चुका है जिसे निरस्त करवाकर अपीलान्ट अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:42:57 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 ने सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका एवं राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर वाद भूमि का विरास्तन नामान्तकरण दर्ज

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

करवाया गया है जो कतई गलत है रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 को वसीयत के बारे में पूर्ण ज्ञान था जानबुझ कर तथ्यों को छुपाकर सरपंच ग्राम पंचायत भुकरका से विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवाया गया है।

अपीलान्ट को विरास्तन नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 का कभी भी ज्ञान नही हुआ था ना ही नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया था अपीलान्ट को विरास्तन नामान्तकरण का ज्ञान वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश जारी होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर हुआ था विरास्तन नामान्तकरण का ज्ञान होते ही दस्तावेजात प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 रोही मौजा चक 3 बीकेके सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका निरस्त किया जाकर तहसीलदार नोहर के आदेश क्रमांक 4130/2022 दिनांक 13.04.2022 के अनुसार वाद भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया रेस्पोडन्स संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री भरतसिह अधिवक्ता उपस्थित आये एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 5 की ओर से श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तत्तपश्चात जाहिर किया की रेस्पोडेन्टस संख्या 5 का देहान्त हो चुका है उभयपक्षों ने व्यक्त किया की रेस्पोडेन्टस संख्या 5 के विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस ही होना व्यक्त किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी

वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि अपीलान्ट के पिता स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह जाति ज़टसिख के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी अपीलान्ट के पिता स्वरूपसिह ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट की सेवाचाकरी से खुश होकर अपने नाम से दर्ज भूमि रोही मौजा चक 3 बीकेके के खाता संख्या 99/101 की कुल 1.3280हैक्ट भूमि की वसीयत दिनांक 24.07.2018 को अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई थी अपीलान्ट के पिता स्वरूपसिह का देहान्त दिनांक 01.07.2020 को हो चुका है।

अपीलान्ट के पिता स्वरूपसिह के देहान्त होने पर स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह की वसीयत दिनांक 01.07.2020 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तहसीलदार नोहर ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर विधिवत सुनवाई की जाकर स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह की वसीयत दिनांक 24.07.2018 के अनुसार अपीलान्ट के नाम वाद भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार नोहर के आदेश की पालना हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर अवगत करवाया की वाद भूमि स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह के वारिसान के नाम विरास्तन नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 से दर्ज हो चुकी है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 ने सरपंच ग्राम पंचायत भुकरका एवं राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विरास्तन नामान्तकरण विधि विरूद्व तरीके दर्ज किया गया है जो काबिले खारिज है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 निरस्त किया जाकर तहसीलदार नोहर के आदेश दिनांक 4130/2022 दिनांक 29.01.2022 के अनुसार भूमि अपीलान्टस के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिरसान के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो स्वरूपसिह को अपने पिता श्रवणसिह पुत्र बिशनसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है इसलिये वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वारिसान का बराबर का हक हिस्सा है लेकिन स्वरूपसिह ने दिनांक 24.07.2018 को अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी जो विधि विरूद्व है वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार से विधि विरूद्व करवाये गये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलान्ट के पिता स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह को विरास्तन से भूमि प्राप्त होना स्पष्ट है इसलिये स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह को समस्त भूमि की वसीयत करवाने का कोई अधिकार नही था ना ही पैतृक कृषी भूमि की वसीयत की जा सकती है मातहत अदालत ने विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।

वाद भूमि का नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 29.01.2022 जो सरपंच ग्राम पंचायत भुकरका के द्वारा तस्दीक किया गया है विधि अनुरूप है क्योकि स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह के जीवनकाल में ही पैतृक भूमि होने के कारण रेस्पोडेन्टस का हक हिस्सा था स्वरूपसिह के देहान्त होने पर विरास्तन सही तौर से नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसे निरस्त नही किया जा सकता है अपीलान्ट के द्वारा वसीयत के अनुसार दर्ज करवाया गया आदेश विधि विरूद्व है जिसे अपास्त किया जावे अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाई जाकर तहसीलदार नोहर का वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 13.04.2022 निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज है रेस्पोडेन्टस संख्या 5 का देहान्त हो चुका है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है रेस्पोडेन्टस संख्या 5 के विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 होना जाहिर किया गया तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 5 के विधिक वारिसान के सम्बध में कोई उज्र एवं ऐतराज भी उभयपक्षों के द्वारा नही किया गया है।

अपीलान्ट का कथन है कि स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह की वसीयत दिनांक 24.07.2018 पर स्वरूपसिह के देहान्त होने के विधिवत सुनवाई उपरान्त स्वरूपसिह की वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है जिसके अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाया जावे तथा विरास्तन नामान्तकरण करते समय अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 4 का कथन है कि स्वरूपसिह पुत्र श्रवणसिह को वाद भूमि उसके पिता श्रवणसिह पुत्र बिशनसिह के देहान्त होने के उपरान्त विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसकी वसीयत करवाने का अधिकार स्वरूपसिह को नही था विरास्तन नामान्तकरण सही तौर से दर्ज किया गया है

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस के कथनों पर मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि श्रवणसिह पुत्र बिशनसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त होने प्रतीत होती है क्योकि प्रस्तुत दस्तावेज पर्चा खतोनी में भूमि श्रवणसिह पुत्र बिशनसिह के नाम से दर्ज है किन्तु श्रवणसिह पुत्र बिशनसिह के नाम 36 बीधा भूमि दर्ज है शेष भूमि का क्या हुआ उसके सम्बध में उभयपक्षों के द्वारा कोई तथ्य पेश या कथन व्यक्त नही किया गया है

विरास्तन नामान्तकरण संख्या 483 एव वसीयत के अनुसार जारी किया गया आदेश मात्र 1.3280हैक्ट भूमि का है हो सकता हो पूर्व में भूमि रेस्पोडेन्टस को प्राप्त हो चुकी है शेष रही भूमि अपीलान्ट के हक हिस्सा की भूमि रही हो जिसकी वसीयत अपीलान्ट के पिता ने अपीलान्ट के पक्ष में करवाई गई थी।

तहसीलदार नोहर के द्वारा वसीयत दिनांक 24.07.2018 के सम्बध में विधिवत सुनवाई की जाकर ही आदेश पारित किया गया है जो प्रस्तुत समाचार पत्र की प्रति, विज्ञिप्त ,आदि से साबित है रेस्पोडेन्टस तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार का ऐतराज पेश करना नही पाया जाता है एवं विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया जाना पत्रावली में उपलब्ध नही है।

प्रकरण में गहन जांच का विषय है कि [illegible] विरास्तन से वाद भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है या वसीयत के अनुसार [illegible] जानी है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वाद भूमि [illegible] में अपीलान्ट ने अपने हकों की धोषणा करवाने का वाद भी हस्तगत न्यायालय में पेश किया गया था जो अपीलान्ट ने खारिज करवाया गया था यह वाद वसीयत से पूर्व पेश व खारिज करवाया गया है तथा स्वरूपसिह की वसीयत दिनांक 24.07.2018 के सम्बध में तहसीलदार नोहर के द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 13.

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

04.2022 को निरस्त करवाने के लिये माननीय अपर ज़िला कलक्टर नोहर के न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः वाद भूमि के सम्बध में विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया जाना है या वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज की जानी है जांच का विषय है जिसके सम्बध में उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है उभयपक्षों को सम्पूर्ण दस्तावेजात पेश करने का अवसर दिया जाकर तय किया जाना चाहिये की वाद भूमि विरास्तन से दर्ज होगी या वसीयत के अनुसार दर्ज होगी तथा स्वरूपसिह पुत्र बिशनसिह को प्राप्त शेष भूमि की क्या स्थिति रही थी।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 483 रोही मौजा चक 3 बीकेके स्वीकृत दिनांक 29.01.2022 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि उभयपक्षों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिया जाकर एवं अपर जिला कलक्टर नोहर में विचारधीन अपील को ध्यान में रखते हुए पूनः निर्णय पारित किया जावें निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:57 IST
Reason: SelfAttested